राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : 3 (10)वन/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 12 JUL 2024

आदेश

विभाग की जानकारी में आया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान/बाघ संरक्षण **क्षेत्र/अभ्यारण्य/रक्षित** वन क्षेत्र में अथवा उनके बफर क्षेत्र/ESZ (अधिसूचित/ड्राफ्ट) में स्थित राजस्व भूमि का सम्बन्धित प्राधिकारी (राजस्व/नगरीय निकाय) द्वारा वन विभाग की अनापत्ति के बिना गैरवानिकी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन कर दिया जाता है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा भी समय–समय पर इस संबंध में आदेश/निर्देश जारी कर सम्बन्धित वन अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों से प्रदत्त आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। इस कम में पूर्व में जारी किये गये आदेश/निर्देश निम्नानुसार पुनः प्रसारित किए जाते है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 202/1995 में प्रस्तुत आई.ए. संख्या 1000/2003 में आदेश दिनांक 03.06.2022 और आई.ए. संख्या 131377/2022 में आदेश दिनांक 26.04.2023 पारित करते हुये अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य/रक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर या ESZ जो भी अधिक हो तक खनन कार्य और प्रतिबन्धित श्रेणी की व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियां वर्जित की है जिन राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए ESZ अधिसूचित नही है वहां उक्त सीमा 10 किलोमीटर तक रखे जाने के निर्देश है। अतः उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. F. NO. 6–30/2019-WL दिनांक 06 मई 2022 द्वारा रक्षित क्षेत्र (PA), वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व एवं लिंकिंग एरिया में गतिविधियों हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (wildlife clearance) हेतु गाईडलाईन जारी की गयी है। अतः संबंधित प्राधिकारी ऐसे रक्षित क्षेत्र (PA) बाघ रिर्जव एवं उनके अधिसूचित/ड्राफ्ट ESZ में प्रस्तावित गतिविधियों/प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति जारी करने से पूर्व उक्त गाईडलाईन्स की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा आदेश F NO 7–9/2010-NTCA (Part) दिनांक 28 नवम्बर 2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2019 के द्वारा अधिसूचित बाघ रिजर्व (कोर/बफर), कोरिडोर/ लिकिंग एरिया में आधारभूत विकास परियोजनाओं की स्वीकृति/क्रियान्वयन में वैद्यानिक प्रावधानों की पालना के संबंध में

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (wildlife clearance) एवं वन भूमि शामिल होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (Forest clearance) आवश्यक है। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 के I.A. NO. 131377/2022 आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 के बिंदु संख्या 66 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षित क्षेत्र (PA) के ESZ के भीतर एवं बाहर प्रोजेक्ट्स/गतिविधियों हेतु पर्यावरण स्वीकृति (EC) वन स्वीकृति (FC) एवं वन्यजीव स्वीकृति (WLC) के संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्डम FC-11/119/2020-FC दिनांक 17 मई 2022 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

5. वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्र. F NO 3(10) वन/2014 दिनांक 31/3/2015 के द्वारा रणथम्भौर बाघ एवं सरिस्का बाघ रिजर्व, जवाई लेपर्ड संरक्षण रिजर्व एवं कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किये गये है। राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर एवं सरिस्का क्रिटिकल टाईगर हेबिटेट (CTH) जवाई लेपर्ड संरक्षण रिजर्व एवं कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचित सीमा की एक किलोमीटर की परिधि में व्यावसायिक (होटल सहित) एवं औद्योगिक (खनन सहित) गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। संबंधित राजस्व/नगरीय निकाय प्राधिकारी द्वारा एक किलोमीटर की सीमा भू–सम्परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अतः समस्त जिला कलक्टर/राजस्व प्राधिकारी/आयुक्त/सचिव विकास प्राधिकरण/नगरीय न्यास/नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि रक्षित वन क्षेत्र (PA)/राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन(ESZ)/बाघ संरक्षण रिजर्व/क्रिटिकल टाईगर हेबिटेट (कोर/बफर) में किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट अनुमोदन/भू–सम्परिर्वतन से पूर्व सम्बधित उप वन संरक्षक से अनिवार्य अनापत्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रकरण जिनमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति या दोनो आवश्यक है, तो ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रोजेक्ट अनुमोदन/भू–सम्परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य वनमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे
9. समस्त उप वन संरक्षक /उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे
10. रक्षित

(अशोक कुमार योगी)
शासनं उप सचिव, वन

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in